दैनिक
न्याय साक्षी

महत्वपूर्ण एवं खास

लैलूंगा क्षेत्र से किशोरी को भगा ले जाने वाला युवक और उसका साथी हुआ गिरफ्तार

लैलूंगा। दिनांक 05/06/2021 को थाना लैलूंगा में नाबालिग बालिका के परिजन जिला जांजगीर चाम्पा के ग्राम सिवनी में रहने वाला शत्रुघन राठौर उसके साथी सुमेश बरेठ के साथ लैलूंगा आकर बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की रिपोर्ट कराया, संदेहियों पर अप.क्र. 153/2021 धारा 363, 366- ए आईपीसी 8,12 पास्को का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। लैलूंगा पुलिस द्वारा अपहृत बालिका एवं संदेहियों की पतासाजी वास्ते सभी थाना प्रभारियों को सूचना दिया गया। साथ ही लैलूंगा पुलिस अपहृत बालिका एवं आरोपियों की पतासाजी के लिये रवाना हुई। इसी दौरान आरोपियों एवं बालिका को पलगड़ा क्षेत्र में होने की जानकारी मिलने पर खरसिया स्टाफ के साथ लैलूंगा पुलिस आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपी शत्रुघन राठौर पिता हरिशरण राठौर उम्र 21 वर्ष सुमेश कुमार बरेठ पिता लक्ष्मीराम बरेठ उम्र 23 वर्ष दोनों निवासी सिवनी जिला जांजगीर चाम्पा को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। अपहृत बालिका का कथन आदि औपचारिकता पूर्ण कर उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया है।

विदेशी मदिरा एवं बीयर के नगद विक्रय की मिली अनुमति

रायगढ़ । कलेक्टर भीम सिंह ने 7 जून 2021 से प्रातः 9 बजे से सायं 6 बजे तक रायगढ़ जिले की समस्त विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों से विदेशी मदिरा एवं बीयर के नगद विक्रय की अनुमति दी है। कलेक्टर सिंह ने मदिरा दुकानों के संचालन के दौरान कोविड प्रोटोकाल तथा कोरोना महामारी से बचाव हेतु शासन द्वारा समय-समय पर जारी एसओपी का अनिवार्य रूप से पालन करने हेतु निर्देशित किया है।

प्रदेश में पैंतीस हजार से अधिक बच्चों की निमोनिया से होती है मौत

रायपुर(आरएनएस)। अब छत्तीसगढ़ के प्रत्येक सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में बच्चों के लिए निश्शुल्क निमोनिया का टीका उपलब्ध होगा। केंद्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में निमोकोकल टीके को शामिल कर, केंद्र ने राज्य को भी पहली खेप में 68 हजार निमोनिया के टीके उपलब्ध करा दिए हैं। स्वास्थ्य कर्मियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के उद्घाटन के साथ ही सप्ताहभर में टीकाकरण की शुरुआत होगी। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रत्येक माह 50 हजार बच्चों को निःशुल्क निमोनिया का टीका लगेगा।

ब्राउन शुगर के साथ एक युवक गिरफ्तार

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी पुलिस ने ब्राउन शुगर बेचने के फिराक में घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है तथा उसके पास से 9 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया है। मिली जानकारी के मुताबिक तेलीबांधा थाना अंतर्गत वीआईपी रोड में मोहम्मद अकरम नाम का युवक ब्राउन शुगर लेकर बेचने के फिराक में घूम रहा था। इसी दौरान पुलिस को मुखबीर से इसकी सूचना मिली। सूचना पर तेलीबांधा थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक से पूछताछ कर तलाशी ली। पुलिस को युवक के पास से 9 ग्राम ब्राउन शुगर मिला। पूछताछ में युवक ने पुलिस को बताया कि वह ब्राउन शुगर को नागपुर से लाकर शहर में खपाने की तैयारी में था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है।

गुम इंशान की जांच में हत्या का हुआ खुलासा, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा रिमांड पर

» अवैध संबंध को लेकर हाईवा चालक की हत्या कर शव फेंका था गहरे खाई में

लैलूंगा। लैलूंगा पुलिस द्वारा गुम इंसान की जांच पर गुम इंसान को उसके साथी हाईवा चालक द्वारा उसकी परिचित महिला के साथ अवैध संबंधों के शक में अपने घर से कोतबा रोड में रेचवा घाटी के पास ले गया, जहां उसकी हत्या कर शव को गहरे खाई में फेंक दिया था। लैलूंगा पुलिस गुम इंसान जांच पर शव मिलने पर हत्या का अपराध दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है।

जानकारी के अनुसार गुम इंसान/मृतक - बैजनाथ साव पिता छोटू साव उम्र 37 वर्ष सा0 चदरा पिपराडिह थाना जयनगर जिला कोडरमा झारखण्ड का रहने वाला था जो विगत 03 वर्षो से ग्राम रूडुकेला, लैलूंगा में रहकर क्रेसर कंपनी का हाईवा चलाता था और सुरेन्द्र रविदास के घर में रहता था। सुरेन्द्र रविदास भी हाईवा चालक है जो झारखण्ड का रहने वाला होने से दोनो में अच्छी मित्रता थी। बैजनाथ साव का परिवार झारखंड में रहता था, वह रूडेकेला में अकेला रहता था। इसी दौरान सुरेन्द्र रबिदास की नजदीकी महिला के साथ बैजनाथ के अवैध रिश्ता बन गया था। दिनांक 28/03/2021 को होली त्यौहार के दिन सुरेन्द्र रविदास, बैजनाथ और उस महिला को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। उसे काफी गुस्सा आया प्रतिशोध की भावना से सुरेन्द्र रविदास, बैजनाथ साव को कोतबा तरफ घुमाने का बहाना कर मोटर सायकल में बैठा कर रेचवा घाटी की ओर ले गया और गहरे खाई के पास सडक किनारे एक लोहे की राड जो छुपा कर रखा था उससे बैजनाथ साव के सिर में मारकर उसकी हत्या कर दिया और लाश को खाई में फेंक दिया था। मृतक बैजनाथ साव बीच-बीच में अपने पत्नि एवं भाई से मोबाईल में बातचीत करता था परन्तु घटना दिनांक 28/03/2021 के बाद से उसका मोबाईल बंद हो गया था। तब मृतक के रिस्तेदार दिनांक 19/05/2021 को लैलूंगा एवं रूडुकेला पता करने आये थे। बैजनाथ साव का पता नहीं चलने पर थाना लैलूंगा में गुम इंसान क्रमांक 19/21 दर्ज कराये, गुम इंसान की जांच की जा रही थी। मृतिका के परिजन एवं लैलूंगा पुलिस लगातार सुरेन्द्र रबिदास और उस महिला से पूछताछ किया जा रहा था, आखिरकार महिला बताई कि दिनांक 28/03/2021 को बैजनाथ और सुरेन्द्र में झगडा हुआ था। उसके बाद बैजनाथ को सुरेन्द्र अपने मोटर सायकल में बैठाकर ले गया था। सुरेन्द्र वापस आकर बैजनाथ को घर झारखंड चले जाने की बात बोला था परन्तु पुलिस के गुम इंसान जांच में पूछताछ करने पर उसने बताया है कि दिनांक 28/03/21 रात में बैजनाथ ?को कोतबा रोड में रेचवा घाटी के पास राड से पीछे से मारकर गहरे खाई में गिरा दिया था। महिला से मिली जानकारी के बाद लैलूंगा पुलिस घटनास्थल जाकर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में मर्ग पंचनामा कार्यवाही किया गया, बैजनाथ साव के भाई द्वारा सड़ी लाश को उसके भाई का होना पहचान किया है। मर्ग जांच पर से दि.05/06/21आरोपी सुरेंद्र रविदास के विरुद्ध अपराध क्रमांक 154/2021 धारा 302, 201 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया। आरोपी सुरेन्द्र रविदास पिता जितेन्द्र रविदास उम्र 44 वर्ष निवासी ग्राम रूडुकेला थाना लैलूंगा गिरफ्तारी के भय से लुकछिप रहा था जिसे हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल किया है, जिसे गिरफ्तार कर आज रिमांड पर भेजा गया है।

एसपी संतोष सिंह, एडिशनल एसपी अभिषेक वर्मा के मार्गदर्शन एवं एसडीओपी धरमजयगढ़ सुशील नायक के सुपरविजन में प्रकरण का खुलासा करने में थाना प्रभारी लैलूंगा एलपी पटेल के नेतृत्व में सउनि जी0पी0 बंजारे, सउनि विजय गोपाल, विभुति सिंग, अमरदीप एक्का, मयाराम राठिया, पुष्पेन्द्र मराठा, विरेन्द्र चन्द्रा एवं महिला आरक्षक शशिकला लकड़ा को महत्वपूर्ण सफलता मिली।

आज से हाईकोर्ट में शुरू होगी सुनवाई

बिलासपुर (आरएनएस)। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद आज से हाईकोर्ट में नियमित रूप से कामकाज शुरू हो जाएगा, इसके लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने नया रोस्टर लागू कर दिया है। दो युगलपीठ व दस एकलपीठ में प्रकरणों की सुनवाई वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से होगी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा के आदेश के बाद न्यायिक रजिस्ट्रार योगेश पारिक ने प्रकरणों की सुनवाई के लिए नया रोस्टर जारी किया है। अब ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद सात जून से हाईकोर्ट में नए रोस्टर के आधार पर नियमित रूप से दो युगलपीठ में प्रकरणों की सुनवाई होगी। पहली युगलपीठ में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा व जस्टिस पीपी साहू व दूसरी युगलपीठ में जस्टिस मनींद्र मोहन श्रीवास्तव व जस्टिस विमला कपूर बैठेंगे। इसके साथ ही 10 एकलपीठ का गठन किया गया है, जिसमें गौतम भादुड़ी, जस्टिस संजय के अग्रवाल, जस्टिस पी सैम कोशी, जस्टिस संजय अग्रवाल, जस्टिस आरसीएस सामंत, जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल, जस्टिस गौतम चौरड़िया, जस्टिस रजनी दुबे, जस्टिस एनके व्यास व जस्टिस एनके चंद्रवंशी मामलों की सुनवाई करेंगे। कोरोना महामारी व लाकडाउन के चलते सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट में भी समय से पहले ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित किया गया था। पूर्व में ग्रीष्मकालीन अवकाश 17 जून को समाप्त होने वाला था, जिसे पहले घोषित कर हाई कोर्ट ने छह जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश की व्यवस्था की थी।

लाखा जंगल में कोतवाली पुलिस ने ध्वस्त की अवैध महुआ शराब भट्ठी, भारी मात्रा में शराब जब्त

» टीआई मनीष नागर के नेतृत्व में हुई तीन कार्रवाई में 180 लीटर महुआ शराब की जब्ती

रायगढ़। एसपी संतोष सिंह के दिशा निर्देशन पर जिले में अवैध रूप से महुआ शराब बनाने और बेचने वालों पर कार्रवाई जारी है। वहीं कोतवाली क्षेत्र में अवैध महुआ शराब को पूर्णतः प्रतिबंधित करने नगर कोतवाल मनीष नागर द्वारा क्षेत्र में मुखबिर लगाकर स्टाफ को मुखबिरों से लगातार सम्पर्क कर जानकारियां हासिल करने निर्देशित किया गया है। आज सुबह मुखबिर द्वारा अवैध शराब के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना दिये जाने पर टीआई नागर द्वारा सूचना को स्टाफ से तस्दीक कराये। सूचना थी कि ग्राम लाखा का भावेश डनसेना लाखा जंगल में बिक्री करने के लिये अवैध रुप से महुआ शराब निर्माण कर रहा है। पुख्ता सूचना पर कोतवाली टीआई के हमराह उप निरीक्षक मानकुंवर, सहायक उप निरीक्षक दिलीप बेहरा, प्रधान आरक्षक नंदु सारथी, श्यामदेव साहू, शंकर क्षत्रिय, आरक्षक उत्तम सारथी, मनोज पटनायक द्वारा आज कार्यवाई की गई लाखा जंगल डेम के पास सुनसान जगह पर एक व्यक्ति को प्लास्टिक जरिकन, पत्री में काफी मात्रा में कच्ची महुआ शराब पेकिंग कर रहा था, जहां शराब निर्माण करने का चूल्हा एवं निर्माण पात्र आदि मिला, पूछताछ करने पर अपना नाम भावेश डनसेना पिता स्व. पालूराम उम्र 19 वर्ष सा0 लाखा का रहने वाला बताया तथा स्वतः शराब बनाकर बिक्री करने हेतु रखना बताया। जिसके कब्जे से 60 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरिकन में भरा हाथ भट्ठी का बना महुआ शराब तथा दो प्लास्टिक पत्री में भरा महुआ शराब कुल 149 बल्क लीटर महुआ शराब किमती करीब 29,800 रुपये एवं शराब निर्माण उपयोग में लाया गया सिल्वर का छोटा बड़ा तीन गंज, दो टीना का टिपा एक प्लास्टिक पाईप, एक प्लास्टिक का डिब्बा जप्त किया गया है। आरोपी पर थाना कोतवाली में धारा 34(1)क (2) 59क आबकारी एक्ट की कार्यवाही की गई है।

कार्यवाही के क्रम में ग्राम लाखा के डनसेना होटल के आगे मेन रोड में मोटर सायकल सीडी डिलक्स क्रं. सीजी 13 एस 9871 पर आरोपी सुभाष यादव पिता महगु राम यादव उम्र 25 वर्ष साकिन लाखा को शराब परिवहन करते पकड़ा गया है, जिसके पास से 17 लीटर महुआ शराब बरामद हुआ है। वहीं एक अन्य कार्यवाही में ग्राम लाखा के जंगल से अवैध रूप से आरोपी त्रिनाथ यादव पिता मंहगुराम यादव उम्र 30 वर्ष साकिन लाखा को शराब लेकर आते हुये पकड़े,जिसके पास से 14 लीटर महुआ शराब की जप्ती की गई है। इस प्रकार आज तीन कार्रवाई में कोतवाली पुलिस द्वारा 180 लीटर महुआ शराब की जप्ती की गई है, जिनके आरोपियों पर आबकारी एक्ट की कार्यवाही कर रिमांड पर भेजा गया है।

मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत भिखारीमाल में हुआ वृक्षारोपण

» कलेक्टर भीम सिंह ने लगाया बेहड़ा का पौधा

» भिखारीमाल में हर्रा, आंवला, बेहड़ा के लगाये गए 500 पौधे

रायगढ़ । मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर कलेक्टर भीम सिंह ने ग्राम पंचायत भिखारीमाल में बेहड़ा का पौधा लगाकर वृक्षारोपण की शुरुआत की। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत डॉ.रवि मित्तल, वनमंडलाधिकारी प्रणय मिश्रा ने भी वृक्षारोपण किया।

उल्लेखनीय है कि गैर वानिकी क्षेत्र भिखारीमाल के 1.00 हे.क्षेत्र में 500 पौधे त्रिफला वृक्षारोपण अंतर्गत संयुक्त वन प्रबंधन समिति विजयपुर के माध्यम से हर्रा, आंवला, बेहड़ा, फलदार पौधों का वृक्षारोपण कार्य किया गया। उक्त क्षेत्र को पंचायत द्वारा ग्रामों के जानवरों, मवेशी से बचाव हेतु चराई प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। वृक्षारोपण से नजदीक में पंचायत का चारागाह एवं गोठान होने के कारण आवारा पशुओं का चराई से भी मुक्त रहेगा। पौधों की सुरक्षा के लिए यहां ट्री गार्ड भी लगाए गए हैं। रोपित किये जाने वाले इस क्षेत्र से एक तालाब लगे होने से पर्याप्त मात्रा में पानी की उपलब्धता है। वृक्षारोपण में पानी की सिंचाई हेतु श्रमिक की व्यवस्था है एवं वन प्रबंधन विजयपुर के द्वारा सुरक्षा कार्य करने पर पौधे की सुरक्षा, पानी व्यवस्था एवं आवारा पशुओं से बचाव करने पर पौधों की अच्छी बढ़त होगी। भविष्य में हर्रा, बेहड़ा एवं आंवला से प्राप्त लघु वनोपज से ग्रामीणों की स्वास्थ्य व लघु वनोपज से ग्रामीणों की आय सुनिश्चित की जा सकेगी।

वृक्षारोपण कार्यक्रम में रेंजर छोटे लाल डडसेना, प्रशिक्षु रेंजर श्रीमती लीला पटेल, डिप्टी रेंजर राज कुमार सारथी, रेंज के अन्य सभी अधिकारी-कर्मचारी, कृषि विभाग के अधिकारी गांव के जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।

जिले में अवैध शराब के 14 मामलों में 347 लीटर महुआ शराब जब्त

» सभी थानाक्षेत्र अन्तर्गत अभियान चलाकर पुलिस कर रही अवैध शराब पर कार्रवाई

रायगढ़। रायगढ़ जिले में एसपी संतोष सिंह के दिशा निर्देशन पर सभी थानाक्षेत्र अन्तर्गत अवैध शराब पर अभियान के तहत पुलिस कार्रवाई कर रही है। आज कोतवाली क्षेत्र के ग्राम लाखा में कोतवाली पुलिस की तीन कार्रवाई में 180 लीटर महुआ शराब की जप्ती की गई है। इसके अतिरिक्त अन्य थानों में भी आबकारी एक्ट की कई कार्यवाहियां हुई है। कोतवाली सहित उल्लेखनीय 14 प्रकरण में आज शाम तक 347 लीटर महुआ शराब की आरोपियों से जप्ती कार्रवाई हुई थी, देर रात तक और भी मामले बनाये जाने की सम्भावना है।

❒ उल्लेखनीय कार्यवाही–

(1) घरघोड़ा पुलिस द्वारा ग्राम पुस्दा के मनबोध यादव पिता पंचुराम यादव उम्र 35 वर्ष, , त्रिनाथ कुम्हार पिता विदुर कुम्हार उम्र 35 वर्ष, उजित राम यादव पिता मसत राम यादव उम्र 45 वर्ष, जोतराम यादव पिता मसत राम यादव उम्र 40 वर्ष से 66 लीटर महुआ शराब जप्त किया गया है।

(2) सारंगढ़ पुलिस द्वारा आरोपी अजित लहरे पिता ग्रहण लहरे उम्र 36 साल साकिन ग्राम साल्हे थाना सारंगढ़ के कब्जे से 20 लीटर महुआ शराब जप्त किया गया है।

(3) डोंगरीपाली पुलिस द्वारा आरोपी जगेश्वर डड्सेना पिता सुदन डड्सेना उम्र 45 वर्ष सा0 झिकिपाली थाना डोंगरीपाली के कब्जे से 19 लीटर महुआ शराब की जप्ती की गई है।

(4) कोसीर पुलिस द्वारा आरोपी अजित साहू पिता जगदीश साहू उम्र 42 वर्ष साकिन नुनपानी से 21 लीटर महुआ शराब तथा आरोपी भीखम यादव पिता रामलाल यादव उम्र 35 वर्ष साकिन भदरा से 15 लीटर महुआ शराब की जप्ती की गई है।

(5) लैलूंगा पुलिस ग्राम भुइयापानी बस्ती के पास आरोपी विजय भगत पिता रातूराम भगत को अवैध रूप से शराब बेचते हुये पकड़ा गया है। आरोपी से 08 लीटर महुआ शराब जप्त किया गया है।

(6) पूंजीपथरा पुलिस द्वारा शराब के दो मामलों में आरोपी आरोपी चिंतामणी भगत पिता पनतराम भगत उम्र 35 वर्ष सा0 तराईमाल से 10 लीटर महुआ शराब किमती 1000 रूपये एवं आरोपी संजीवन कुजूर पिता बिरसियुस उम्र 43 वर्ष सा0 तराईमाल थाना पूंजीपथरा से 08 लीटर महुआ शराब की जप्ती की गई है।

वृक्षारोपण से गांवों और जंगलों की बदलेगी तस्वीर मुख्यमंत्री बघेल

» प्रदेश में मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ

» छत्तीसगढ़ में इस वर्ष 99 लाख से अधिक पौधे रोपे जाएंगे: 2 करोड़ 27 लाख पौधों का होगा वितरण

रायगढ़ । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ किसानों, पंचायतों तथा वन समितियों की आय बढ़ाने के लिए शुरू की जा रही मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का औपचारिक शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना से निश्चित ही गांवों और जंगलों की तस्वीर बदलेगी। इससे किसानों को आय का एक नया जरिया मिलेगा। उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हमारे गांवों में फिर से हरियाली दिखेगी। बघेल ने कहा कि पूर्व में वृक्षों की कटाई के लिए बनाए नियमों के कारण जो व्यावहारिक कठिनाई आती थी, इस योजना में उन सभी के निराकरण की ओर भी ध्यान दिया गया है और इस योजना में निजी भूमि में लगाए गए वृक्षों की कटाई के लिए किसानों को भविष्य में अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना को राजीव गांधी किसान न्याय योजना के साथ भी जोड़ा गया है। जिन किसानों ने खरीफ वर्ष 2020 में धान की फसल ली है, यदि वे धान फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं, तो उन्हें आगामी 3 वर्षों तक प्रतिवर्ष 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। अपने खेतों में लगाए गए वृक्षों की कटाई के लिए किसानों को भविष्य में किसी भी विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। योजना के तहत वन विभाग द्वारा इस साल 99 लाख से अधिक पौधे रोपने की तैयारी की गई है, साथ ही 2 करोड़ 27 लाख पौधों का वितरण भी किया जाएगा। इस बार के अभियान में जनभागीदारी होने के कारण सफलता की गारंटी भी अधिक होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के तहत ग्राम पंचायतों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक वृक्षारोपण किया जाता है, तो एक वर्ष बाद सफल वृक्षारोपण की दशा में संबंधित ग्राम पंचायतों को 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, इससे पंचायतों की आय में वृद्धि होगी। इसी प्रकार संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पास उपलब्ध राशि से यदि वाणिज्यिक आधार पर राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है, तो पंचायत की तरह ही संबंधित समिति को एक वर्ष बाद 10 हजार रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। वृक्षों को काटने व विक्रय का अधिकार संबंधित समिति का होगा।

श्री बघेल ने इस अवसर पर सभी से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार करने और लोगों को पौधे लगाने तथा उसकी सुरक्षा के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार राज्य में वृक्षारोपण अभियान को वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के रूप में संचालित किया जा रहा है। इसमें अधिक जनभागीदारी होने से वृक्षारोपण की सफलता की गारंटी भी अधिक होगी। वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा कि मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना एक क्रांतिकारी योजना साबित होगी। इस योजना के जरिए वन विभाग के सहयोग से निजी भूमि में भी वृक्षारोपण किया जाएगा। उन्होंने इस योजना के प्रावधान के बारे में विस्तार से जानकारी दी और कहा कि इसके तहत लगाए गए पेड़ों की कटाई और परिवहन के नियम सरल कर दिए गए हैं।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480